निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1935 (श0)

(सं0 पटना 208) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2014

जल संसाधन विभाग

———————

अधिसूचना

9 जनवरी 2014

सं0 22 नि0 सि0(डि0)–14–11/2006/41—श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (आई0डी0–7652) के सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा सोन नहर सेवा पथ के कार्यों की गुणवत्ता दयनीय होने का प्रतिवेदन विभागीय आयुक्त एवं सचिव को प्राप्त होने पर निर्माणधीन सेवापथ के कार्यों की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जॉच हेतु आई0आर0आई0, खगौल के कार्यपालक अभियन्ता, प्रशिक्षण प्रमण्डल–2 के नेतृत्व में विभागीय स्तर पर एक जॉच समिति गठित की गई। जॉच समिति के जॉच फल एवं जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट एवं आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश परिक्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, डिहरी को अभियन्ता प्रमुख (मध्य) द्वारा दिया गया। जॉच प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियंता, डिहरी के विस्तृत प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गई। तद्नुसार प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये चार प्रमण्डलों यथा– सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, पीरो, सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज एवं सोन नहर प्रमण्डल विक्रमगंज के अधीन नहर सेवापथ के निर्माण में बरती गई अनियमित्ता के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमडल, नावानगर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। तदोपरान्त विभागीय समीक्षा के दौरान संचालन पदाधिकारी

के जॉच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त व्यवहृत मेटल के साईज के संबंध में ओभर साईज का आरोप प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 1387 दिनांक 30.11.2009 द्वारा दो वेतनवृद्धि पर असंचायात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त परिवाद के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिचाई प्रमण्डल, नावानगर के विरूद्ध संचिका संख्या–22 नि0सि0 (डि0) 14–11/2006 एवं 22 नि0सि0 (डि0) 14–36/07 में कार्यवाही चल रही थी जिसमें समेकित रूप से समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि सदृश् मामले में उन्हे विभागीय अधिसूचना संख्या 1387 दिनांक 30.11.2009 द्वारा दण्ड संसूचित किया जा चुका है। अतएव संचिका संख्या–22 नि0सि0 (डी0) 14–11/2006 एवं 22 नि0सि0 (डि0) 14–36/2007 में चल रही कार्यवाही को बंद कर दिया जाय।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर के विरूद्ध संचिका संख्या–22 नि0सि0 (डि0)14–11/2006 एवं 22 नि0सि0 (डि0)14–36/2007 में चल रही कार्यवाही को बन्द करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 208-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in